भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

(11)

राजस्व विविध वाद सं0–03/2017–18

रामखेलावन मिर्धा ....वादी

बनाम्

दुर्गा मुर्मू..............प्रतिवादी

–:आदेश:–

27/7/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलख बद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान प्रक्रिया अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–796/रा0 दिनांक–03.12.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसमें आवेदक रामखेलावन मिर्धा के जमीन मौजा जमुआ थाना नं0–516 जमाबंदी नं0–45 दाग नं0–282, रकवा–0.06 डि0 विवादित जमीन पर उभय पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद एवं विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करने हेतु प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों को दावा संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है।

उभय पक्ष इस वाद में अपने अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हुए। प्रस्तुत वाद में अपर समाहर्त्ता महोदय गोड्डा के द्वारा प्रश्नगत जमीन का अंचल अधिकारी गोड्डा सदर के पत्रांक–457/रा0 दिनांक–15.07.2014 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को भेजा गया है।

अंचल अधिकारी, गोडडा सदर ने अपने पत्रांक–457/रा0 दिनांक–15.07.2014 के प्रतिवेदन ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक–रामखेलावन मिर्धा प्रश्नगत जमाबंदी नं0–45 मौजा–जमुआ के जमाबंदी रैयत मोसमात मनातोरिया के वंशज है। उक्त जमीन सर्वे खतियान में मो0 मनतोरिया के नाम से दर्ज है। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि उक्त जमाबंदी नं0–45 दाग नं0–282 के अन्तर्गत 0.06 डि0 भूमि का वासगीत पर्चा केश नं0–32/1973–74 के द्वारा दुर्गा मुर्मू पे0 भीम मुर्मू के नाम वासगीत पर्चा प्राप्त है उक्त भूमि खाली पडा हुआ है।

उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वाद में अपना अपना लिखित बहस एवं कागजात भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम पक्ष रामखेलावन मिर्धा के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी नं0–45 मौजा–जमुआ की उपरोक्त भूमि मो0 मनतोरिया एवं रामधन मिर्धा के नाम से दर्ज है। आवेदक रामधन मिर्धा के पुत्र है। जमाबंदी रैयत मो0 मनतोरिया की मृत्यु नावल्द स्थिति में हो गई है। इसलिए प्रश्नगत जमाबदी नं0–45 की पूरी जमीन जमाबदी रैयत रामधन मिर्धा जो मो0 मनतोरिया के भतीजा है। को उस पर हक अधिकार एवं दखल कब्जा के साथ प्राप्त हुए जमाबंदी रैयत रामधन मिर्धा भी अपने पीछे एक मात्र पुत्र रामखेलावन मिर्धा को छोडकर मरे इसलिए जमाबंदी नं0–45 के पुरी जमीन पर हक अधिकार के साथ दखल कब्जा कायम है। उनके विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि रामखेलावन मिर्धा प्रश्नगत जमीन सहित जमाबदी नं0–45 के पुरी जमीन का मालगुजारी अदा कर मालगुजारी रसिद प्राप्त कर रहे हैं। एवं वर्तमान चल रहे सर्वे तसदिक पर्चा में उनका नाम रैयत के रूप में अंकित हो गया है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत से विपक्षी दुर्गा मुर्मू का कोई संबंध नही है।

निहत बाहरी व्यक्ति है। परन्तु वह गलत रूप से वासगीत पर्चा का कागज बना कर जबरन दाग नं0–282 के अन्तर्गत रकवा–0.06 डि0 जमीन पर बॉरा बत्ती घेर कर जबरन कब्जा कर लिए है। आवेदक का यह भी कथन है कि संथाल परगना काश्तकारी पुरक अधिनियम के तहत वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया जा सकता है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अंचल अधिकारी गोड्डा सदर ने भी स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत जमीन अभी खाली पड़ी हुई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। एवं विपक्षी दुर्गा मुर्मू की मृत्यु हो गई है इसलिए उक्त जमीन पर विपक्षी दुर्गा मुर्मू के अन्य वंशजो की उच्छेद करने का प्रयाप्त आधार है। इसलिए प्रश्नगत जमीन को विपक्षी के अवैध दखलकब्जा से मुक्त करा कर आवेदक को दखल दिलाने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन जमाबदी नं0–45 दाग नं0–282 मौजा–जमुआ के जमाबदी रैयत मो0 मनतोरिया एवं रामधन मिर्धा प्रश्नगत दाग नं0–282 जमाबंदी नं0–45 मौजा–जमुआ के अन्तर्गत रकवा–0.06 डी0 जमीन अंचल अधिकारी गोड्डा सदर के द्वारा वासगीत पर्चा केश नं0–32/1973–74 के द्वारा दुर्गा मुर्मू के नाम से वासगीत पर्चा निर्गत हुआ है एवं उक्त भूमि पर 1973 से ही वासगीत पर्चा निर्गत होने के पश्चात दखलकार है प्रश्नगत जमीन पर उनका हक एवं अधिकार है। वे आश्रय प्राप्त व्यक्ति है।

अतः वे वैध रूप से प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस एवं प्रस्तुत कागजातो एवं अंचल अधिकारी गोड्डा सदर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा–जमुआ जमाबंदी नं0–45 के दाग नं0–282 के अन्तर्गत रकवा 0.06 डी0 जमीन का वासगीत पर्चा दुर्गा मुर्मू पे0 भीम मुर्मू साकिन–जमुआ के नाम से के नाम अंचल अधिकारी, गोड्ड सदर द्वारा निर्गत है।

अतः उक्त जमीन पर उसका दखल अवैध नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

27.7.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्ड।

27.7.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्ड।

27/7/2023

Digitally signed by Kumudini Tudu
Date: 2023.08.19 12:36:01 +05:30
Location: 192.168.29.136